



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 फरवरी 2023—माघ 17, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2023

क्र. 62- आर नं. 1083153-2023-बाईस-पं. 1.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (इक्कीस) के साथ पठित धारा 93 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 309-126-बाईस-पं.-2-94, दिनांक 5 मार्च, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी या प्राधिकारी (2)	धारा (3)
"36	(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं।	धारा 69 की उप-धारा (4)."

R. No. 63-1083153-2023-XXII-P-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 93 read with clause (xxi) of Section 2 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 01 of 1994), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 309-126-XXII-P-2-94, dated 5<sup>th</sup> March, 1994, namely :—

### AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 36 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

### TABLE

Sr. No. (1)	Officer of Authority (2)	Section (3)
"36	(1) Chief Executive Officer, Zila Panchayat, is authorised officer For Gram Panchayat.	Sub-section (4) of section 69."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश कुशरे, उपसचिव,